

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 70(0)ग्रावि/नरेगा/प्रशिक्षण/बेयर फुट/टैक्नी./2015-16 जयपुर, दिनांक **22 AUG 2016**

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस
(जिला अजमेर, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर,)

विषय – बेयर फुट टैक्नीशियन के प्रशिक्षण बाबत।

प्रसंग– विभाग का पत्रांक एफ 12 (1) ग्रावि / नरेगा/बेयर फुट/2015 जयपुर, दिनांक
13.06.2016

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आप द्वारा प्रांसगिक पत्र के क्रम में बेयर फुट टैक्नीशियन हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर विभाग को सूची भिजवाई थी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभाग को 623 बेयर फुट टैक्नीशियन के प्रशिक्षण के लक्ष्य आंक्टि किये हैं। इस हेतु समस्त प्रक्रिया व प्रशिक्षण कार्य इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर द्वारा राज्य में स्थित निम्नांकित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

1. पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर।
2. ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर, जोधपुर।
3. पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र डूंगरपुर।
4. पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कोटा।
5. पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र भरतपुर।

आप द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का **स्क्रीनिंग टेस्ट** इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के निर्देशन में उपरोक्त प्रशिक्षण संस्थानों में **दिनांक 30.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक** लिया जावेगा। कृपया आपके द्वारा प्रेषित सूची (सलंगन) का विभाग के निर्देश दिनांक 28.01.2015 एवं मास्टर सर्कुलर वर्ष 2016 के क्रम में परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार की जावे।

आप द्वारा उक्तानुसार चयनित किए गए योग्य अभ्यर्थियों (पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची) को, स्क्रीनिंग टेस्ट की सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति/ सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से फोटोयुक्त परिचय पत्र एवं जॉब कार्ड की फोटो प्रति के साथ उपस्थिति होने हेतु (निर्धारित की गई तिथि को स्क्रीनिंग टेस्ट प्रारम्भ होने से 1 घण्टा पूर्व पहुंचने हेतु) दी जावे (उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में से अभ्यर्थी जिस संभाग के अन्तर्गत आता है, उस संभाग में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र पर स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जावेगा)। अभ्यर्थियों को सूचना दिये जाने सम्बन्धित पत्रादि रिकॉर्ड में संधारित किये जावे। नोडल ऑफिसर व सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र को भी उक्त सूची दिनांक 28.08.2016 तक आवश्यक रूप से प्रेषित कर दी जावे, ताकि प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु आवश्यक तैयारी पूर्व में ही की जा सके।

स्क्रीनिंग टेस्ट में वरीयतानुसार चयनित योग्य अभ्यर्थियों को बेयर फुट टैक्नीशियन हेतु प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में 30-30 अभ्यर्थियों का बैच इन्ही केन्द्रों पर प्रारम्भ किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण की अवधि 90 दिवस की होगी, तथा प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय (ठहरने, खाने, प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर द्वारा वहन किया जावेगा। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कोई भी राशि व्यय नहीं की जानी है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को अतिरिक्त मानदेय 150 रु प्रतिदिवस भी दिया जावेगा।

प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की, उसके द्वारा सम्पादन किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के आंकलन हेतु परीक्षा ली जावेगी, तथा सफल/उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को agriculture skill council of india (ASCI) द्वारा प्रमाण पत्र दिया जावेगा। प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार कार्य हेतु नियोजित किया जा सकेगा।

उक्त समस्त प्रशिक्षण कार्य हेतु श्री राकेश राजोरिया अति० निदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर नोडल अधिकारी होंगे, जिनका मोबाईल न० 9414606366 है। तथा कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नं. 0141-2706571 है।

कृपया इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना नोडल अधिकारी से प्राप्त की जावे।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रा०वि०विभाग

प्रतिलिपी:-

- 1 निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (महात्मा गांधी नरेगा), भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2 निजी सचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, महानिदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को प्रतिलिपि भेजकर निवेदन है कि वह अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करावे।
- 6 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह अपने जिले से संबंधित उपरोक्तानुसार योग्य अभ्यर्थियों को सूचित करने का श्रम करें।
- 8 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जिला परिषद, बाडमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह अपने जिले से संबंधित उपरोक्तानुसार योग्य अभ्यर्थियों को सूचित करने का श्रम करें।
- 9 अति० निदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु अपने स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही/निर्देश जारी करे।
- 10 चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर राजीविका
- 11 पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कोटा/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर/डूंगरपुर।
- 12 रक्षित पत्रावली।


अति०आयुक्त, प्रथम ईजीएस